

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग

देहरादून : दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्रसंख्या 1850/3-2(ब) दिनांक 03.01.2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्य 1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि में से रू0 107.66 लाख (रू0 एक करोड़ सात लाख छियासठ हजार मात्र)की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मद	मूल बजट प्राविधान	अनुपूरक मांग से स्वीकृत	कुल बजट	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	(धनराशि हजार रू0 में) अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित
01-वेतन	37376	7624	45000	37376	7624
03-महंगाई भत्ता	2242	2258	4500	2242	2258
06- अन्य भत्ते	2616	884	3500	2616	884
योग:-	42234	10766	53000	42234	10766

2. उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है। व्यय के सम्बन्ध में अन्य मदों पर विचलन की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3. उक्ता पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-001 निदेशन तथा प्रशासन-97-वाह्य सहायतित योजना-02 समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2016 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आबंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नं0/अलॉटमेंट आई.डी. S I 8 0 1 1 7 0 3 1 3 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 27 / 2018-5-3(2) / 2014. दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायू/ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी/चम्पावत/नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी/चम्पावत/नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-4।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Jalagam (S026)

आवंटन पत्र संख्या - 27/2018-5-3(2)/2014

अनुदान संख्या - 017

अलोटमेंट आई डी - S1801170313

आवंटन पत्र दिनांक - 19-Jan-2018


HOD Name - Director Watershed Management (4798)

- 1: लेखा शीर्षक 2401 - फसल कृषि कर्म 00 -
001 - निदेशन तथा प्रशासन
97 - बाह्य सहायकित योजना
02 - समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (2401 00 800 97 03 से स्थानान्तरित)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted	
				योग
01 - वेतन	37376000	7624000		45000000
03 - महेगाई भत्ता	2242000	2258000		4500000
06 - अन्य मत्ते	2616000	884000		3500000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300000	0		300000
	42534000	10766000		53300000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10766000


19/1/2018
Director Watershed Management
Jalagam